प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौडगढ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स. 283/23 दिनांक 31/10/2023
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट : – धाराएं 7, पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. : –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं : –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 543 समय 4:PM
(2) अपराध के घटने का दिन **सोमवार** दिनांक 20.06.2023 समय **05:54** पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 15.06.2023 समय 03:00 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण–पश्चिम दिशा, लगभग 510 किलोमीटर
(2) पता – कार्यालय नगर परिषद डुंगरपुर
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ......
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
परिवादी (प्रथम)
(1) नाम : श्री गजानंद खाण्डेकर
(2) पिता का नाम : श्री परसाराम खाण्डेकर
(3) आयु : 53 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : सिविल निर्माण ठेकेदार
(7) पता : 69 युआईटी कॉलोनी, पुरोहितो की मादडी उदयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री प्रकाश महावर पुत्र श्री रमेशचंद्र महावर जाति महावर उम्र 37 साल निवासी पुनम कॉलोनी गली नं0 6 कोटा राजस्थान, हाल कनिष्ठ अभियंता नगरपरिषद डुंगरपुर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
कम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति
1. भारतीय चलन मुद्रा 2,00,000 रूपये आरोपी श्री प्रकाश महावर कनिष्ठ अभियंता नगर परिषद डुंगरपुर द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री गजानंद खाण्डेकर जो कि एक सिविल कार्य के ठेकेदार है, नगर परिषद डुंगरपुर में इनके द्वारा करवाये गये कार्यो के पास हो चुके बिलों तथा बकाया बिलो को पास करवाने की एवंज में श्री प्रकाश महावर कनिष्ठ अभियंता द्वारा दिनांक 20.06.2023 को समय 05:54 पीएम पर कार्यालय नगर परिषद कार्यालय डुंगरपुर में कुल दो लाख रूपये रूपये की मांग स्वयं के लिये तथा केशियर श्री बाबुंलाल चौधरी के लिये तथा अन्य स्टाफ के लिये करने पर प्रकाश महावर कनिष्ठ अभियंता द्वारा रिश्वत राशि मांग करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 2,00,000/– रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदयजी

वाकियात मामला इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 15.06.2023 को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ पर श्री गजानंद खाण्डेकर पुत्र श्री परसाराम खाण्डेकर जाति खाण्डेकर उम्र 52 वर्ष निवासी 69 युआईटी कॉलोनी पुरोहितो की मादडी उदयपुर ने उपस्थित होकर इस आशय की हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की, कि "मैनें नगर परिषद डूॅगरपुर में वर्ष 2018–19 में जरिये निविदा नगर परिषद भवन में लिफ्ट लगाने का कार्य, अटल बिहारी वाजपही सामुदायक भवन में लिफ्ट लगाने का कार्य, नगर परिषद बिल्डिग में एलिवेशन का कार्य, के टेन्डर लिए थे। तथा मेरे द्वारा नियत समय पर कार्य पुर्ण कर नगर परिषद को सुपुर्द कर दिये थे। उक्त टेन्डर मे से 8,00,000/– आठ लाख रूपया बकाया है। जिसका भुगतान करने की एवज में नगर परिषद में पदस्थापित केशियर श्री बाबुलाल चौधरी एंवम कनिष्ट अभियन्ता श्री प्रकाश महावर द्वारा 2.50 लाख रूपयों की मांग की जा रही है। 2.50 लाख रूपया रिश्वत राशि नही देने पर मुझे परेशान किया जा रहा है तथा बजट नही होने का बहाना बनाकर मेरी शेष राशि आठ लाख रूपयों का भुगतान नही किया जा रहा है। मैं उक्त दोनों कर्मचारीयों को कोई रिश्वत राशि नही देना चाहता हूॅ। बल्कि दोनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूॅ। मेरी उपरोक्त दोनों से कोई रंजिश /ईर्ष्या व द्वेषता नही है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करवाये"। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं परिवादी से विस्तृत पुछताछ की गई जिससे ज्ञात हुआ कि परिवादी ने लगभग 45 लाख रूपये का निमार्ण कार्य नगर परिषद डुंगरपुर में उक्त अवधि में किया है जिसमें से 36 लाख रूपये का भुगतान हो चुका है। कुछ आवश्यक कटोतियों के बाद 08 लाख रूपये प्राप्त होना शेष हैं। नगर परिषद के उक्त कर्मचारी रिश्वत की मांग कर रहे है। जिस पर दिनांक 20.06.2023 को श्री जितेन्द्र सिंह कानि नं 514 को परिवादी के कहे अनुसार मय डिवीआर उदयपुर भेजा जहां से वह परिवादी के साथ डुंगरपुर नगर परिषद कार्यालय पहुंचा दिनांक 20.06.2023 समय 11:30 पीएम पर कानि श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित कार्यालय आया तथा डिवीआर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना हो उदपुर पहुंचा परिवादी श्री गजानंद खाण्डेकर से सपंर्क कर उनसे मिला तथा उदयपुर से परिवादी के हमराह करीब 02:00 पीएम पर कार्यालय नगर परिषद डुंगरपुर पहुचे जहां पर करीब 05:54 पीएम मिनट पर परिवादी को डिवीआर चालु कर आरोपी से वार्ता करने हेतु रवाना किया गया। जिसके कुछ समय पश्चात परिवादी पुनः मेरे पास आया डिवीआर मुझे सुपुर्द किया जिसको मैने बंद किया तथा परिवादी ने बताया कि मेरी आरोपी श्री प्रकाश महावर कनिष्ठ अभियंता से वार्ता हो गई है तथा वह मुझसे रिश्वत की मांग कर रहा है जो वार्ता इस डिवीआर में दर्ज है। जिस पर डुंगरपुर से रवाना होकर उदयपुर पंहुचे परिवादी को उदयपुर ही छोड रवाना हो ब्यूरो कार्यालय चित्तोडगढ पर उपस्थित आया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिवीआर चालु कर दर्ज वार्ता को सुना गया तो आरोपी श्री प्रकाश महावर कनिष्ठ अभियंता द्वारा परिवादी के पेण्डिंग बिल पास करवाने की एवज में दो लाख रूपये की मांग की गई। तथा परिवादी के बार–बार कुछ कम करने पर भी 2 लाख से कम पर काम नहीं होने की बात कही। वार्ता के समय संदिग्ध आरोपी बाबुलाल चौधरी उपस्थित नही होने के कारण बाबुलाल चौधरी से आईन्दा वार्ता करवा बाबुलाल की भुमिका स्पष्ट होने पर आईन्दा अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। डिवीआर को श्री श्यामलाल हैड कानि से सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 23.06.2023 से दिनांक 06.09.2023 तक परिवादी से कानि जितेन्द्र सिंह ने लगातार कई बार संपर्क किया तो परिवादी द्वारा निजी कार्यो में व्यस्त होने से ब्यूरो कार्यालय पर आने में असमर्थता जाहिर की दिनांक 06.09.2023 समय 12:30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एसीबी कार्यालय उदयपुर में श्री गजानंद खाण्डेकर तलबिदाशुदा उपस्थित मिले जिस पर उनसे वार्ता कर बाबुलाल के बारे में पतारसी की तो उन्होने बताया कि बाबुलाल लंबे समय से कार्यालय में नही बैठ रहा है कुछ समय के लिये कार्यालय आता है फिर निकल जाता है। इसलिये उससे मुलाकात नहीं हो पा रही है तथा फोन भी नहीं उठाता है। श्री गजानंद खाण्डेकर को श्री प्रकाश महावर के खिलाफ ट्रेप कार्यवाही आयोजन करने हेतु कहने पर उन्होने कहा कि इससे मेरा केस बिगड जायेगा। मेरा कार्य होगा नहीं क्योंकि नगर परिषद मेरे खिलाफ हो जायेगी इसलिये मै ट्रेप दोनो को साथ ही करवाउंगा। श्री गजानंद खाण्डेकर को समझाईश की गई की मामला काफी पुराना हो गया है किसी मामले को इतना पेण्डिंग रखना उचित नहीं है। क्योंकि गोपनियता भंग होने की संभावना रहती है। दिनांक 18.09.2023 समय 09:30 एएम पर कानि श्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि परिवादी श्री गजानंद खाण्डेकर से समय 09:30 एएम पर वार्ता करने पर परिवादी ने बताया कि दिनांक 19.09.2023 को दोनो आरोपीगणो के कार्यालय नगर परिषद डुंगरपुर में उपस्थित रहने की संभावना है अतः दिनांक 19.09.2023 दोनो आरोपीगण से वार्ता हाने की पूर्ण संभावना है। इस पर कानि जितेन्द्र सिंह को दिनांक 19.09.2023 को परिवादी के साथ श्री जितेन्द्र सिंह को डुंगरपुर नगर परिषद भेजा गया किन्तु दोनो ही आरोपी गण कार्यालय में नहीं

मिले कार्यालय समय तक आरोपीगणो का इंतजार किया परन्तु आरोपीगणो के कार्यालय में उपस्थित नही आने के कारण आरोपीगणो से कोई वार्ता नही हुई संभवतः आरोपीगण को कोई आशंका हो गई है। डिवीआर को श्री श्यामलाल हैड कानि को मालखाने में रखने हेतु सुपुर्द कर मालखाने में रखवाया गया आरोपीगणो के उपस्थित कार्यालय में आने पर आईन्दा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 05.010.2023 समय 10:00 पीएम पर दिन में गोपनीय कार्य से रावतभाटा में रहने के दौरान परिवादी श्री गजानंद खाण्डेकर ने जरिये दुरभाष बताया कि कल दिनांक 06.10.2023 को संदिग्ध आरोपीगणों से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की सभांवना है अतः आप किसी को उदयपुर भीजवा दे जो हम डुंगरपुर जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड कर लाये। दिनांक 06.10.2023 समय 09:30 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मालखाना प्रभारी श्री श्यामलाल हैड कानि से डिवीआर मंगवाकर कानि श्री जितेन्द्र सिंह को मय डिवीआर सुपुर्द कर निर्देश दिये कि उदयपुर पहुंच परिवादी से संपर्क परिवादी के हमराह कार्यालय नगर परिषद डुंगरपुर पहुंच परिवादी व आरोपीगणो के बीच होने वाली रिश्वत राशि मांग सत्यापन सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के निर्देश देकर रवाना किया गया। दिनांक 06.10.2023 समय 06:42 पीएम पर परिवादी श्री गजानंद खाण्डेकर ने जरिये दूरभाष बताया कि श्री बाबुलाल चौधरी कार्यवाहक केशियर तथा ईओ का स्थानान्तरण हो चुका है तथा प्रकाश महावर कनिष्ठ अभियंता भी कार्यालय में उपस्थित नहीं है ना ही वो मेरा फोन उठ रहा है। इस पर परिवादी को जितेन्द्र सिंह कानि को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने के निर्देश दिये जिस पर परिवादी ने बताया कि मेरे उदयपुर में कोई काम है इसलिये मै चित्तोडगढ आने में असमर्थ हुं मै 1–2 दिन में ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आ जाउंगा। दिनांक 06.10.2023 समय 11:30 पीएम पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि उपस्थित कार्यालय आया जिसने डिवीआर पेश कर बताया कि मै कार्यालय से रवाना होकर उदयपुर पंहुच परिवादी श्री गजानंद खाण्डेकर से जरिये दुरभाष संपर्क कर परिवादी के साथ डुंगरपुर के लिये रवाना हो डुंगरपुर पहुंच, परिवादी ने गुप्त रूप से पता किया तो दोनो आरोपीगण कार्यालय में उपस्थित नहीं होना ज्ञात आये जिस पर परिवादी व मै कार्यालय समय तक नगर परिषद के आस–पास उपस्थित रहे मगर आरोपीगण कार्यालय में नहीं आये जिस पर परिवादी ने गोपनीय रूप से पता किया तो ज्ञात आया कि श्री बाबुलाल चौधरी कार्यवाहक केशियर का स्थानान्तरण उदयपुर हो चुका है। डिवीआर को मालखाना प्रभारी को मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर मालखाने में रखवाया गयां। दिनाक 09.10.2023 समय 04:00 पीएम पर परिवादी श्री गजानंद खाण्डेकर कार्यालय में उपस्थित आये व बताया कि मैने बाबुलाल चौधरी कार्यवाहक केशियर संपर्क करने की काफी कोशिश की तो श्री बाबुलाल चौधरी के कोई अपना स्वयं का ऑपरेशन करवाया इसके बाद इसके दादाजी का देहान्त हो गया इस कारण क़ाफी दिनों तक संपर्क नहीं हो पाया उसके बाद मैने उसे कार्यलय में संपर्क करने की कोशिश की तो कार्यालय में नहीं मिलता है व मेरा फोन भी नहीं उठाता है अब उसका स्थानांतरण उदयपुर हो चुका है जिस कारण श्री बाबुलाल चौधरी अब मुझसे रिश्वत राशि मांग की वार्ता नहीं करेगा मेरा कार्य करने वाला श्री बाबुलाल चौधरी ही था। उससे वार्ता होने की अब कोई संभावना नही है। श्री प्रकाश महावर कनिष्ठ अभियंता द्वारा भी रिश्वत राशि लिये जाने की संभावना नहीं है। न ही मै अब ये ट्रेप करवाना चाहता हुं। परिवादी द्वारा बताये कथनो के अनुसार अब ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। अतः श्री श्यामलाल हैड कानि को जिला परिषद से दो स्वतंत्र गवाह तलब किये जाने हेतु निर्देशित किया गयां। दिनाक 09.10.2023 समय 04:20 पीएम पर तलबशुदा स्वतंत्र श्री दुर्गा प्रसाद कुमावत पुत्र श्री मदन लाल कुमावत उम्र 56 साल जाति कुमावत निवासी गाडरीयों का मोहल्ला आकोलाकलां (गढ) तहसील भदेसर जिला चित्तोंडगढ हाल अतिरिक्त विकास अधिकारी जिला परिषद चित्तोडगढ व श्री जगदीष चन्द्र रेगर पुत्र श्री नानालाल रेगर उम्र 46 निवासी हैप्पी पब्लिक स्कुल के पीछे सांवरीया नगर कपासन जिला चित्तौडगढ हाल सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद चित्तौडगढ उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी व स्वतंत्र गवाहन का आपस में परिचय करवाया गया। उक्त दोनो गवाहन को की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करा कार्यवाही में गवाह रहने की मौखिक सहमति प्राप्त की गई। परिवादी द्वारा दिनांक 15.06.2023 को प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया व दिखाकर पढाई गई दोनो के उक्त रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 20.06.2023 को परिवादी व आरोपी श्री प्रकाश महावर कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर में रिकॉर्ड है को मालखाना प्रभारी श्री श्यामलाल हैड कानि से मंगवाया जाकर परिवादी के समक्ष दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष चालुकर चालुकर सुनाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहन ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता होने की पुष्ठी होना

बताया तथा परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा तीन कार्य 45 लाख रूपये के नगर परिषद डुंगरपुर में किये गये जिनमें से मुझे 36 लाख रूपये का शिकायत से पुर्व में भुगतान हो चुका है तथा कुल 9 लाख रूपये का भुगतान होना शेष है जिसमें से सरकारी खर्च निकालने के पश्चात 8 लाख रूपये मुझे प्राप्त होंगे तथा पूर्व में जो 36 लाख रूपये के बिल पास हुये उसका कमीशन लेने के लिए मेरे बकाया बिलो को रोक कर परेशान कर रहे है तथा सत्यापन वार्ता के दौरान भी पूर्व में किये गये भुगतान का उल्लेख करते हुये आरोपी श्री प्रकाश महावर द्वारा कहा जा रहा है कि दो लाख से कम में आगे बिल पास नही करना बताया। दो लाख रूपये का कमीशन मेरे द्वारा किये गये कुल कार्य के हिसाब से मांगा जा रहा है नहीं देने पर मेरे पेण्डिंग बिलो को पास नहीं किया जा रहा है। दिनांक 09.10.2023 समय 05:20 पीएम पर स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी की उपस्थिति में दिनांक 20.06.2023 को समय करीब 05:54 पीएम पर परिवादी श्री गजानंद खाण्डेकर की आरोपी श्री प्रकाश महावर कनिष्ठ अभियंता नगर परिषद डुंगरपुर से कार्यालय नगर परिषद डुंगरपुर मे हुई वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह से तैयार करवा संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गयें। रिकार्डिंग की सीडी, पेन ड्राईव, वार्ता के दौरान डिवीआर मे प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड जिसमें वार्ता सुरक्षित है को नियमानुसार तैयार कर सिलचिट कर पृथक से फर्द मुर्तिब कर फर्द तथा जब्तशुदा समस्त आर्टिकल पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09:00 पीएम पर कार्यवाही से संबंधित सीलचीट आर्टिकल मुल मेमोरी कार्ड, पेन ड्राईव व सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री श्यामलाल हैड कानि को सुरक्षित संभलाकर मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर मालखाने में रखवाई गई।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि आरोपी श्री प्रकाश महावर पुत्र श्री रमेशचंद्र महावर जाति महावर उम्र 37 साल निवासी पुनम कॉलोनी गली नं0 6 कोटा राजस्थान, हाल कनिष्ठ अभियंता नगरपरिषद डुंगरपुर द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री गजानंद खाण्डेकर जो कि एक सिविल कार्य के ठेकेदार है, नगर परिषद डुंगरपुर में इनके द्वारा करवाये गये कार्यो के पास हो चुके बिलों तथा बकाया बिलो को पास करवाने की एवंज में श्री प्रकाश महावर कनिष्ठ अभियंता द्वारा दिनांक 20.06.2023 को समय 05:54 पीएम पर कार्यालय नगर परिषद कार्यालय डुंगरपुर में कुल दो लाख रूपये रूपये की मांग स्वयं के लिये तथा केशियर श्री बाबुंलाल चौधरी के लिये तथा अन्य स्टाफ के लिये करने पर प्रकाश महावर कनिष्ठ अभियंता द्वारा रिश्वत राशि मांग करना पाये जाने से संदिग्ध आरोपी श्री प्रकाश महावर के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्राथमिकी दर्ज किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य है।

अतः आरोपी श्री प्रकाश महावर पुत्र श्री रमेशचंद्र महावर जाति महावर उम्र 37 साल निवासी पुनम कॉलोनी गली नं0 6 कोटा राजस्थान, हाल कनिष्ठ अभियंता नगरपरिषद डुंगरपुर द्वारा परिवादी के उक्त कार्य के संबंध में पास हो चुके बिल तथा पेण्डिंग बिल पास करवाने की एवंज में दो लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है जो कि धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपी श्री प्रकाश महावर पुत्र श्री रमेशचंद्र महावर जाति महावर उम्र 37 साल निवासी पुनम कॉलोनी गली नं0 6 कोटा राजस्थान, हाल कनिष्ठ अभियंता नगरपरिषद डुंगरपुर के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है।

(कैलाश सिंह सांदू)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
चित्तौडगढ

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सांदू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रकाश महावर पुत्र श्री रमेशचंद्र महावर, हाल कनिष्ठ अभियंता, नगरपषिद् डुंगरपुर के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 283/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

31/X/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः-2986-89 दिनांकः-31.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।